

329
IV-3729

70
2.8.18
31.7.18
Bindu
16.8.18

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)
संख्या:सा0-847/सात-न्याय-1-18-43(प्र)/1999
लखनऊ: दिनांक 01 जून, 2018

Request-83

कार्यालय-ज्ञाप

व्यापिक प्रशिक्षण एवं अनुरोधन संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख की अंकित तिथि से उनके अपने मूल वेतन का 15 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहाय स्वीकृति प्रदान करने के लिए-

क्रमांक	नाम/पदनाम	15 प्रतिशत की दर से अनुमन्य प्रशिक्षण भत्ता की तिथि
1	श्री आनंद कुमार ओझा, निदेशक	दिनांक 11-10-2017
2	श्री अनूप कुमार गायल, अपर निदेशक	दिनांक 6-11-2017
3	श्री राम नगीना यादव, अपर निदेशक, प्रशिक्षण	दिनांक 9-5-18
4	श्री राजीव महेश्वर, अपर निदेशक, प्रशासन	दिनांक 25-4-18
5	श्रीमती नीलाजना, उप निदेशक	दिनांक 25-4-18

2- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि उक्त अधिकारियों यह प्रशिक्षण 06 माह के अन्दर-डी0टी0एस0/डी0आ0टी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगे अन्यथा उक्त अवधि के उपरान्त प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराये जाने के बाद विशेष वेतन, प्रतिनियुक्त वेतन तथा अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

3- उक्त प्रशिक्षण उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकाङ्गी लखनऊ अथवा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली से ही प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, तो उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध एकाङ्गी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य होगा।

4- उक्त आदेश कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-24/8-76-का0-प्र0स0का0 /1999, दिनांक 12-5-1999, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 21-8-1999 एवं सम-संख्यक शासनादेश दिनांक 23-12-02 में निहित व्यवस्था के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

59
Aug 18
(100)

DR (MS)

D-R (R-0) Admn
S.O. Admn, H/A
25/7/2018
bc

डा0 राजेश सिंह
विशेष सचिव।

Ms. Pranti
18.08.18

1135

Request-83

Dr (M)

This serial is only for
information. May file

Wanti Dand...

20/08/18

H. T...
20-08-18
AR

R.O.

yes

Rd
20/8/2018
62

